न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः– विनय कुमार द्विवेदी
सत्र परीक्षण संख्या– 11/2021

राज्य प्रति शशिकान्त आदि

आरोप

मैं विनय कुमार द्विवेदी, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,
आप अभियुक्तगणः–

1. शशिकान्त ।
2. रमाकान्त । पुत्रगण अमेरिका राम
3. शेरू ।

पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

प्रथम– यह कि दिनांक 02–08–2020 को सायंकाल 4.00 बजे ग्राम सोनहुली थाना धानापुर जनपद चन्दौली में आपलोगों ने इस आशय व ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में लाठी–डण्डे से मारकर वादी की मां शीतला देवी को ऐसी चोटें पहुंचायी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 304 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर वादी के भाई व मां को लाठी–डण्डा से मार–पीट कर स्वेच्छया साधारण चोटें पहुंचाया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 323 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से वादी के परिजनों को को भद्दी–भद्दी गालियां दिया। इस प्रकार आपने धारा 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विनय कुमार द्विवेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

दिनांकः–02–02–2021.

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

(विनय कुमार द्विवेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

दिनांकः–02–02–2021.

02–02–2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण शशिकान्त, रमाकान्त व शेरू अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित है। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण पर दण्डनीय धारा 304 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0, 323 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0, एवं 504 भा0दं0सं0 का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

लंच बाद पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित है। उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण शशिकान्त, रमाकान्त व शेरू पर दण्डनीय धारा 304 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0, 323 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0, एवं 504 भा0दं0सं0 का आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु मुकदमा दिनांक 26–02–2021 को प्रस्तुत हो।

सेशन जज,
चन्दौली।